झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–41 वर्ष 2017

शेख हसन .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2. अनुमण्डलीय अधिकारी, गुमला

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री ए0के0 सहानी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– जी0पी0–II के जे0सी0

03/04.04.2017 उपायुक्त, गुमला को तत्काल याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया जाए। याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को पूरे दिन के दौरान लाल स्याही से जोड़ने की अनुमति हैं

याचिकाकर्त्ता के भाई एस0के0 इदवा को सरकारी रोजगार मिलने के कारण, वर्तमान याचिकाकर्त्ता को अगस्त 2014 में पी0डी0एस0 लाइसेंस नंबर 05/2001 आवंटित किया गया था। इससे पहले याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी सं0 2 द्वारा 7 अप्रैल 2010 (अनुबंध–1) के जारी आदेश के माध्यम से उसी पी0डी0एस0 लाइसेंस दुकान में एक भागीदार के रूप में रखा गया था। 'मुख्यमंत्री जन संवाद' के तहत आयोजित सुनवाई के दौरान की गई शिकायतों के कारण, उपायुक्त, गुमला को मामले की जांच करने के लिए

निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 20 दिसंबर 2016 को आक्षेपित नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें यह बताने का निर्देश दिया गया है कि बिहार ट्रेड आर्टिकल (लाइसेंस एकीकरण) आदेश, 1984 खंड–11 और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 खंड–7 के संदर्भ में इस व्यापार लाइसेंस को रद्द क्यों नहीं किया जाए। याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उनके पी0डी0एस0 लाइसेंस को रद्द करने की धमकी आक्षेपित नाटिस द्वारा केवल एक निराधार शिकायत पर की गई है, हालांकि ट्रेड आर्टिकल (लाइसेंस एकीकरण) आदेश, 1984 या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों के उल्लंघन के कोई विशेष आरोप नहीं हैं। इसलिए, याचिकाकर्त्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस मामले में निर्देश नहीं दिया गया है क्योंकि इसे पहली बार सुना जा रहा है। हालांकि, याचिकाकर्त्ता को अपनी बेगुनाही साबित करने और मामले में अपना पक्ष रखने के लिए सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ अपना अभ्यावेदन उपायुक्त, गुमला के समक्ष रखने का निर्देश दिया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों और पार्टियों के निवेदन पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जारी नोटिस में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्त्ता को एक उचित अवसर दिया जाता है, यह चीजों की उपयुक्तता में होगा कि प्रतिवादी–उपायुक्त, गुमला कानून के अनुसार 20 दिसंबर 2016 के आक्षेपित नोटिस पर उनके अभ्यावेदन पर विचार

करें और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उस संबंध में निर्णय लें। रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)